अस्सलामुअलैकुम,

1. मसला यह है कि जो औरतें menopause (हमेशा के लिए माहवारी खत्म होने से पहले का वक्त) के दौर से गुज़र रही हों और उन्हें उनके शौहर तलाक दे दें तो उन औरतों की तलाक की इद्दत कितनी होगी?
2. मेनोपॉज़ वाली औरतों की हैज़ की आदत बिगड़ जाती है। हैज़ शुरु होने और खत्म होने का कोई टाइम नहीं होता। शुरु होता है तो 1…2…3…महीनों या ज़्यादा भी चलता रहता है। रुकता है तो 1…2… 4……महीनों तक (ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने और hormonal changes की वजह से) आता ही नहीं है।
3. मेनोपॉज़ का सिलसिला सालों–साल चलता है। तो क्या औरत सालों–साल अपनी तलाक की इद्दत पूरी होने का इंतज़ार करती रहेगी?
4. इस्लाम (कुर'आन) में तलाक की इद्दत के लिए तीन महीने या तीन हैज़ के बारे में बताया गया है ताकि किसी औरत को हमल हो पता चल जाए। लेकिन मेनोपॉज़ वाली औरतों को लगातार खून जारी रहता है इससे ही पता चल जाता है कि हमल नहीं है। या फ़िर दो–चार–छः महीनों तक हैज़ होता ही नहीं है तब भी बात साफ़ हो जाती है कि हमल नहीं है। (इतने महीनों में तो बच्चे की पैदाइश का वक्त ही करीब आ जाता है।)
5. सूरह बकरह की 'अत तलाक' की आयत में अल्लाह त'आला ने इद्दे में शक होने वाली आयत को हैज़ से मायूस हो चुकी औरतों और जिन लड़कियों को हैज़ शुरु हुआ ही नहीं के दरमियान (center) में रखा है। और बीच वाली stage तो menopause की ही होती है। इस stage में पूरी तरह से शक–शुब्हा बना रहता है।
6. प्लीज़ बताएँ कि शक होने के क्या मायने हैं? क्योंकि हैज़ का बिल्कुल खत्म हो जाना और हैज़ का शुरू ही न होने में कोई शक नहीं होता। शक सिर्फ और सिर्फ मेनोपॉज के वक़्त ही होता है।
7. आयत "अगर तुम्हें शक है तो उनकी इद्दत तीन महीने होगी।" यहाँ अगर मेनोपॉज़ की वजह से माहवारी में गड़बड़ हुई और शौहर को बीवी के हैज़ के टाइम या तारीखों में शक हुआ तो क्या इद्दत तीन महीने होगी? और बीवी भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रही है।
8. अगर कोई शौहर मेनोपॉज़ वाली बीवी के हैज़ का अंदाज़ा किसी सूरत नहीं लगा पा रहा है, उसे शक है तो क्या तलाक की इद्दत को तीन महीने मान लिया जाए?
9. मेनोपॉज़ के दौरान एक औरत के तलाक की इद्दत की गिनती कैसे की जाएगी? जबकि मेनोपॉज़ की वजह से न बीवी और न ही शौहर इस बात का कयास/अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैज़ की सही तारीख या टाइम क्या था, क्या है और क्या होगा। (हैज़ हुआ तो रुका नहीं, जारी रहा और रुका तो काफ़ी टाइम तक हुआ ही नहीं) लम्बे अरसे तक मेनोपॉज़ होने से न याद रहता है और न अंदाज़ा रहता कि सही टाइम क्या था और क्या होगा।

सूरह तलाक़ (सूरह बक़रह) की आयत-

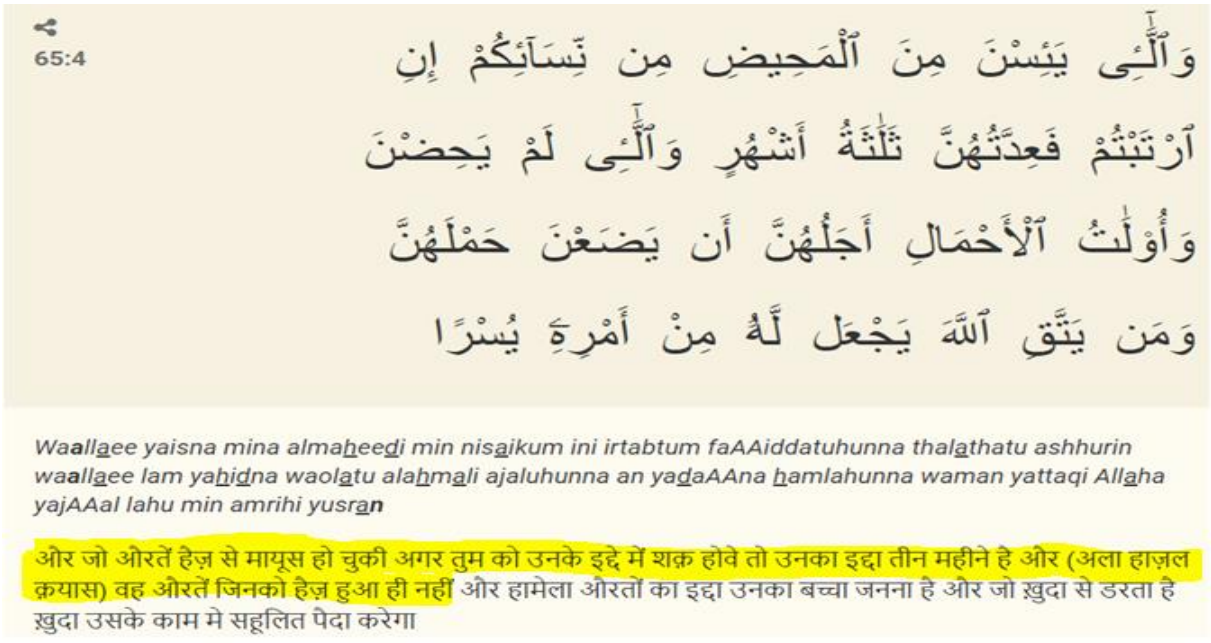

65:4

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ
ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ
وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

Waallaee yaisna mina almaheedi min nisaikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waallaee lam yahidna waolatu alahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusran

ओर जो ओरतें हेज़ से मायूस हो चुकी अगर तुम को उनके इद्दे में शक़ होवे तो उनका इद्दा तीन महीने है ओर (अला हाज़ल क़यास) वह ओरतें जिनको हेज़ हुआ ही नहीं ओर हामेला ओरतों का इद्दा उनका बच्चा जनना है ओर जो ख़ुदा से डरता है ख़ुदा उसके काम मे सहूलित पैदा करेगा

Wallaaa'ee ya'isna minal maheedi min nisaaa 'ikum inir tabtum fa'iddatuhunna salaasatu ashhurinw wallaaa'ee lam yahida; wa ulaatul ahmaali ajaluhunna any yada'na hamlahun; wa many yattaqil laaha yaj'al lahoo min amrihee yusraa

4. And those who no longer expect menstruation among your women – if you doubt then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah – He will make for him of his matter ease.

मुफ़्ती साहब प्लीज़ हाइलाइट किए हुए हुरुफ़ों (words) पर गौर फ़र्माएँ- "if you doubt" then their period is three months.

﴿ 4 ﴾ तथा जो निराश[1] हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी निर्धारित अवधि तीन मास है तथा उनकी, जिन्हें मासिक धर्म न आता हो और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि ये है कि प्रसव हो जाये तथा जो अल्लाह से डरेगा, वह उसके लिए उसका कार्य सरल कर देगा।

عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣									
3	अन्दाज़ा	हर बात के लिए	बेशक कर रखा है अल्लाह	अपना काम	पहुँचने (पूरा करने) वाला	बेशक अल्लाह	उस के लिए काफ़ी है	तो वह	अल्लाह पर
وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ									
तो उन की इद्दत	अगर तुम्हें शुबाह हो	तुम्हारी बीवियां	से	हैज़	से	ना उम्मीद हो गईं हों	और जो औरतें		
ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ									
कि वज़्अ़ हो जाएं	उन की इद्दत	और हम्ल वालियां		उन्हें हैज़ नहीं आया		और जो	महीने	तीन	
حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤ ذٰلِكَ اَمْرُ اللهِ									

है, बेशक अल्लाह ने हर बात के लिए अन्दाज़ा मुक़र्रर किया है। (3) और जो हैज़ से ना उम्मीद हो गईं हों तुम्हारी बीवियों में से, अगर तुम्हें शुब्हा हो तो उन की इद्दत तीन महीने है और (यही हुकुम कमसिन के लिए भी है) जिन्हें हैज़ नहीं आया। और हम्ल वालियों की इद्दत उन के वज़्अ़ हम्ल (बच्चा जनने) तक है और जो अल्लाह से डरेगा तो वह उस के लिए उस के काम में आसानी कर देगा। (4)

https://hindiquranohadees.files.wordpress.com/2020/04/65-talaq-h.pdf

(4) और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक-धर्म से निराश हो चुकी हों उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक हो रहा है तो (तुम्हें मालूम हो कि) उनकी इद्दत तीन महीने है।[7] और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज़ न आया हो। और गर्भवती